न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, रंका।

विविध वाद सं0 – 262/2022 धारा 144 द0प्र0स0

कुदुश अंसारी वगैरह बनाम् सुलतान अंसारी वगैरह

आदेश

आदेश की क्र0 सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

09/01/023

अभिलेख उपस्थापित।

यह वाद आवेदक के आवेदन के आधार पर प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया है। भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

ग्राम	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	उत्तर	दक्षिण	पुरब	पश्चिम
चिनियॉ	पु0 4	पु0 634	5.99 एकड़	प्रथम पक्ष नीज	बहोरन सिंह	करमन माझी	रोजा मियां

प्रथम पक्षकार का कहना है कि मोंगदी मियां पिता मंगन मियां ग्राम चिनियॉ को बन्दोवस्ती पट्टा क्र0 48 दिनांक 15.08.1948 द्वारा भूतपूर्व जमीदांर द्वारा ग्राम चिनियॉ के खाता संख्या 4 प्लॉट संख्या 634 का रकबा 5.99 एकड़ भूमि बन्दोवस्त हुआ। सन् 1948 से ही भूमि पर मोंगदी मियां दखल काबिज हुए एवं भूमि को आबाद कर खेती बारी करने लगे। इस भूमि का मालगुजारी मोंगदी मियां द्वारा जमींदार के रिस्ते में जमा किया जाता रहा एवं अदा मालगुजारी का रसीद भी प्राप्त किया साथ ही इस भूमि पर दखल कब्जा में बने रहे है। जमींदारी उन्मूलन हुआ तथा जमींदार द्वारा जो रिटर्न दाखिल सरकार को किया गया उसमें दस भूमि को मोंगदी मियां को बन्दोवस्त रकबा 5.99 एकड़ किया गया है। जमींदार द्वारा सरकार के यहॉ जो रिटर्न दाखिल किया गया जिसमें मोंगदी मियां को यह भूमि बन्दोवस्त किया गया का कम्पन सेशन केश नं0 0311953–1954 है। द्वितीय पक्षकार द्वारा इस भूमि को भूदान पर्चा से प्राप्त किए है, कि बात कह कर भूमि दखल का प्रयास किया जा रहा है। यह भूमि भूदान यज्ञ कमिटी का राज गिरवर प्रसाद सिंह बहादुर द्वारा दान नहीं की गई है। क्योंकि भूदान को दान के अलावे जो अन्य भूमि है उस पर कोई हक उनका नहीं ऐसे में द्वितीय पक्षकार को भूदान से यह भूमि प्राप्त है, बिलकुल गलत है। मोंगदी मियां के मात्र एक पुत्र लतीफ मियां थे जिनके छः पुत्र (1) कुदुश मियां (2) खुशदिल अंसारी (3) कलीम अंसारी (4) हबीब अंसारी (5) मुस्लीम अंसारी (6) सलीम अंसारी है। यह भूमि प्रथम पक्षकार के पूर्वज मोंगदी मियां के कब्जे में 1948 बन्दोवस्त धारी तिथी से है तथा उनके पुत्र दखल में लतीफ मियां आये उसके बाद वर्तमान में उनके छः पुत्र जो प्रथम पक्षकार दखल कब्जा में कायम रहा है। अतः अन्त में अनुरोध है कि जारी निषेधाज्ञा प्रथम पक्ष से उठाया जाए एवं द्वितीय पक्ष के विरूद्ध निषेधाज्ञा अत्यांकित किया जाय।

द्वितीय पक्षकार का कहना है कि मुर्गी पालन के लिए झोपड़ी लगा हुआ था तथा बनी हुई झोपड़ी को बढ़ा रहे थे तो प्रथम पक्ष गण जाकर मना किए तो द्वितीय पक्ष कि भूमि है क्योकि 60 वर्षो से जोत–कोड़ करते आ रहे है। शांतिपूर्वक तथा इसके पूर्व में किसी प्रकार को कोई विवाद नहीं हुआ एका एक झोपड़ी बनाने से राकने लगे थे।

द्वितीय पक्षगण को विवादित भूमि बिहार भूदान यज्ञ कमिटी से पर्चा हुआ है। वर्ष 1966 दिनांक 24.11.196 को प्राप्त हुआ है। विवादित भूमि को जोत–कोड़ कब्जा के आधार पर तथा भूमि पर जाकर जॉच करने के बाद पर्चा दिया तथा किसी प्रकार का कोई आपति नहीं हुआ है। बिहार भूदान यज्ञ कमिटी से पर्चा दिया तथा किसी प्रकार का कोई आपति नहीं हुआ है। बिहार भूदान यज्ञ कमिटी से पर्चा मिलने के बाद अंचल को मालगुजारी रसीद वर्ष 2015 तक ऑफलाइन देते आ रहे है। हाल सर्वे विादित भूमी को बिहार सरकार के नाम से खाता खुला जिसका खाता संख्या 299 प्लॉट संख्या 329, 333 है। तथा पुराना खाता संख्या 4 प्लॉट संख्या 634 का रकबा 2.20 एकड है। चौहदी उ0 प्रति पत्थर, द0 बहोरण सिंह, पु0 रास्ता, प0 कर्मण सिंह है। अतः अन्त में अनुरोध करते है कि उक्त वाद में द्वितीय पक्ष से निषेधाज्ञा उठाया जाय तथा प्रथम पक्ष को निषेदित किया जाय। उक्त भूमि खतियान में सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है। अतः धारा 144 द0प्र0स0 की समय सीमा समाप्त होने के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

Digitally signed by RUDRA PRATAP
Date: 2023.11.27 12:08:01 +05:30
Location: 192.168.223.152

09.1.23

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
रंका।